# खाद्य पदार्थों के उद्यम पर 10 लाख अनुदान

- उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी व एक्सईएन विद्युत का वेतन रोकने का आदेश
- किसानों की फसलों की रक्षा के लिए फेंसिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत किसान यदि खाद्य पदार्थ संबंधित कोई उद्योग लगाएं तो उन्हें इस पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को विकास भवन के सभागार में आयोजित किसान दिवस में जिला उद्यान विभाग के अधिकारी ने दी। अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी ने आयोजन में कैटल कैचर के संबंध में जवाब न दे पाने पर उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. पवन कुमार सिंह व अनुपस्थित रहने पर एक्सईएन विद्युत नोडल अधिकारी हेमंत कुमार सिंह का वेतन रोकने का निर्देश दिया।

जिला उद्यान अधिकारी ने यह भी बताया कि सब्जी, फल, फूल की खेती करने वाले किसानों की फसल को छुट्टा पशुओं से बचाने हेतु फेंसिंग कराने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किसी तरह की समस्या होने पर किसान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

## 29 वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध

प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि शासन द्वारा कुल 29 प्रकार के वृक्षों (आम, नीम, शाल, महुआ, बीजा शाल, पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़, अर्जुन, पलास, बेल, चिरौंजी, खीरनी, कैथा, इमली, जामुन, असना, कुसुम, रीठा, भिलावा, तुमुन, सलई, हल्दू, बाकली/करघई, धौ, खैर, शीशम, सागौन) को कटाई हेतु प्रतिबंधित किया गया है, किसी को यदि किसी विशेष परिस्थितियों में कटाई करनी हो तो उसे वन विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है।

**वर्षा से नुकसान होने पर 431 किसानों ने किया बीमा क्षतिपूर्ति का दावा** : जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि बीते दिनों असामयिक आंधी और वर्षा के कारण जिन बीमित कृषकों के फसल की क्षति हुई है, उनमें से अब तक 431 लोग आनलाइन दावा कर चुके हैं। इसी क्रम में एसबीआइ जनरल इन्श्योरेंस कंपनी के जिला प्रबंधक पवन कुमार सिंह को निर्देशित किया गया कि अविलंब संबंधित कृषकों का सर्वे कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायत मिलने वाले गांवों में बीमित किसानों के प्लाट का सर्वे कर लिया जाए। उन्होंने बीमा कराने वाले किसानों से आग्रह किया कि वे दैविक आपदा में फसल क्षति होने के 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नम्बर-14447 पर शिकायत करें। यदि आनलाइन शिकायत में कोई असुविधा हो तो उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप से सूचित कर दें।